भारत सरकार

(जनजातीय कार्य मंत्रालय)

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या †3455

उत्तर देने की तारीख 15.07.2019

लिंबू और तमांग समुदायों को आरक्षण

†3455. श्री इंद्रा हांग सुब्बाः

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या वर्ष 2003 में अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित लिंबू और तमांग समुदायों के आरक्षण का मामला सरकार के विचाराधीन है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या सरकार ने लिंबू और तमांग अनुसूचित जनजाति के मामले में यह सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम उठाए हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद-332 का उल्लंघन न हो
और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जनजातीय कार्य राज्य मंत्री
(सुश्री रेणुका सिंह सरूता)

(क) तथा (ख) : सिक्किम विधान सभा में लिंबू और तमांग समुदायों के लिए सीटों के आरक्षण हेतु प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 च (च) तथा अनुच्छेद 332 सिक्किम की विधान सभा में सीटों के आरक्षण को नियंत्रित करते हैं तथा लिंबू और तमांग समुदायों के लिए सीट आरक्षण के मुद्दे पर भारत के संविधान के इन प्रावधानों के तहत विचार किया जा रहा है।

*****